न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री मुकेश बारैठ आर.ए.एस.

मि0न0 —171/2019

1. सोहनलाल पुत्र चुनीराम जाति जाट निवासी मलखेडा तहसील भादरा। — वादी

ब ना म

1. चुनीराम पुत्र चेतराम जाति जाट निवासी मलखेडा तहसील भादरा।
2. छोटूराम पुत्र चुनीराम जाति जाट निवासी मलखेडा तहसील भादरा।
3. झाबरराम पुत्र चुनीराम जाति जाट निवासी मलखेडा तहसील भादरा।
4. सुन्दरदेवी पुत्री चुनीराम जाति जाट निवासी मलखेडा तहसील भादरा।
5. कमला पुत्री चुनीराम जाति जाट निवासी मलखेडा तहसील भादरा।
6. सुरस्वती पुत्री चुनीराम जाति जाट निवासी मलखेडा तहसील भादरा।
7. कृष्णादेवी पुत्री चुनीराम जाति जाट निवासी मलखेडा तहसील भादरा।
8. मूर्तिदेवी पुत्री चुनीराम जाति जाट निवासी मलखेडा तहसील भादरा।

:— **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :—श्री धर्मपाल बेरवाल **वादी**
श्री राजेश बैनीवाल वकील **प्रतिवादीगण**

दिनांक: 26/02/2020

निर्णय

वादी के दावा के सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार है कि रोही चक 17 एएमएस के खाता सं0 28/23 के मु0 न0 17 के किला न0 21/2, 22, मु0 न0 18 के किला न0 18 ता 25, मु0 न0 19 के किला न0 25 मु0 न0 20 के किला न0 5, 6 मु0 न0 21 के किला न0 1 ता 5, 7 ता 10, मु0 न0 22 के किला न0 1 व 2 कुल 6.047है0 नहरी 5.622है0, गै0 मु0 खाला 0.2250है0 व चक 14 एएमएस के खाता सं0 35/38 के मु0 न0 13 के किला न0 8 ता 13, 18 ता 23 मु0 न0 14 के किला न0 6, 7, 14 ता 17 कुल 4.3010है0 नहरी 3.036है0 बारानी 1.2650है0 कृषि भूमि प्रतिवादी चुनीराम के नाम दर्ज हैं। वादभूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी का जन्म से हक व अधिकार है।

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दु है तथा हिन्दु उतराधिकर अधिनियम एवं हिन्दु मिताक्षरा पद्धति से शासित होते है। वादभूमि पहले वादी के दादा चेतराम की खातेदारी हुआ करती थी। चेतराम के देहान्त होने पर वादभूमि जो प्रतिवादी चुनीराम के नाम विरासतन प्राप्त हुई है वह वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 8 को बहिस्सा बराबर के अनुसार विरासतन में मिली थी परन्तु प्रतिवादी चुनीराम कर्ता खानदान होने के चलते विरासतन इन्तकाल तन्हा प्रतिवादी चुनीराम अपने नाम से दर्ज करवा लिया। इस प्रकार वादभूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादभूमि तन्हा प्रतिवादी चुनीराम के नाम दर्ज होने से वादी के अधिकारों पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ता है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। तामील उपरान्त प्रतिवादी सं. 1 ता 8 एवं वादी ने न्यायालय मे उपस्थित होकर अपना राजीनामा पेश किया। राजीनामा पेश होने के कारण तनकीयात की आवश्यकता नही पाई जाने के कारण साक्ष्यवादी में वादी सोहनलाल पुत्र चुनीराम जाति जाट निवासी मलखेडा तहसील भादरा के साक्ष्य करवाये गये। साक्ष्य की ताहिद

में वादी ने वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत मलखेडा प्रदर्श 1, सत्यप्रति जमाबंदी चक 17 एएमएस खाता सं0 28/23 प्रदर्श 2, सत्यप्रति जमाबंदी चक 14 एएमएस खाता सं0 35/38 प्रदर्श 3, सत्यप्रति जमाबंदी सैटलमेंट विभाग प्रदर्श 4 व 5, जमाबंदी खतौनी चक 14 एएमएस प्रदर्श 6 प्रदर्शित करवाये गये।

बहस वकील उभय पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील उभय पक्षकारान ने अपने वाद के तथ्यों को दोहराया एवं मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादी ने रोही चक 17 एएमएस के खाता सं0 28/23 के मु0 न0 17 के किला न0 21/2, 22, मु0 न0 18 के किला न0 18 ता 25, मु0 न0 19 के किला न0 25 मु0 न0 20 के किला न0 5, 6 मु0 न0 21 के किला न0 1 ता 5, 7 ता 10, मु0 न0 22 के किला न0 1 व 2 कुल 6.047है0 नहरी 5.622है0, गै0 मु0 खाला 0.2250है0 व चक 14 एएमएस के खाता सं0 35/38 के मु0 न0 13 के किला न0 8 ता 13, 18 ता 23 मु0 न0 14 के किला न0 6, 7, 14 ता 17 कुल 4.3010है0 नहरी 3.036है0 बारानी 1.2650है0 कृषि भूमि प्रतिवादी चुनीराम के नाम दर्ज करवाने बाबत राजीनामा पेश किया है वादी ने अपने दावा को दस्तावेज एवं मौखिक साक्ष्य से साबित किया है इसलिए दावा वादी डिक्री किया जाने योग्य है।

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री कर घोषणा की जाती है कि रोही चक 17 एएमएस के खाता सं0 28/23 के मु0 न0 17 के किला न0 21/2, 22, मु0 न0 18 के किला न0 18 ता 25, मु0 न0 19 के किला न0 25 मु0 न0 20 के किला न0 5, 6 मु0 न0 21 के किला न0 1 ता 5, 7 ता 10, मु0 न0 22 के किला न0 1 व 2 कुल 6.047है0 नहरी 5.622है0, गै0 मु0 खाला 0.2250है0 व चक 14 एएमएस के खाता सं0 35/38 के मु0 न0 13 के किला न0 8 ता 13, 18 ता 23 मु0 न0 14 के किला न0 6, 7, 14 ता 17 कुल 4.3010है0 नहरी 3.036है0 बारानी 1.2650है0 कृषि भूमि प्रतिवादी चुनीराम के नाम दर्ज में से वादी सोहनलाल व प्रतिवादी सं0 1 चुनीराम, प्रतिवादी सं0 2 छोटूराम व प्रतिवादी सं0 3 झाबरराम बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व प्रतिवादी सं0 4 ता 8 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 के पक्ष मे त्याग किया है , इसलिये हक त्याग किये गये हिस्सा पर पंजीयन विभाग द्वारा नियमानुसार देय स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क देय करने पर एवं वादभूमि यदि रहन हो तो रहनमुक्त होने उक्त वादभूमि से वादी सोहनलाल व प्रतिवादी सं0 1 चुनीराम, प्रतिवादी सं0 2 छोटूराम व प्रतिवादी सं0 3 झाबरराम बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री तैयार कर संलग्न की जावे।

निर्णय आज दिनांक 26/02/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज०)

(मुकेश बारैठ)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
R.A.S.

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :—श्री मुकेश बारैठ आर.ए.एस.

मि0न0 —171/2019

अनवान : —

1. सोहनलाल पुत्र चुनीराम जाति जाट निवासी मलखेडा तहसील भादरा।

—वादी

ब ना म

1. चुनीराम पुत्र चेतराम जाति जाट निवासी मलखेडा तहसील भादरा।
2. छोटूराम पुत्र चुनीराम जाति जाट निवासी मलखेडा तहसील भादरा।
3. झाबरराम पुत्र चुनीराम जाति जाट निवासी मलखेडा तहसील भादरा।
4. सुन्दरदेवी पुत्री चुनीराम जाति जाट निवासी मलखेडा तहसील भादरा।
5. कमला पुत्री चुनीराम जाति जाट निवासी मलखेडा तहसील भादरा।
6. सुरस्वती पुत्री चुनीराम जाति जाट निवासी मलखेडा तहसील भादरा।
7. कृष्णादेवी पुत्री चुनीराम जाति जाट निवासी मलखेडा तहसील भादरा।
8. मूर्तिदेवी पुत्री चुनीराम जाति जाट निवासी मलखेडा तहसील भादरा।

:— प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

आज यह वाद मुझ श्री मुकेश बारैठ उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा के समक्ष .वकील वादी श्री धर्मपाल बेरवाल एवं वकील प्रतिवादीगण राजेश बैनीवाल की उपस्थिति मे निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री कर घोषणा की जाती रोही है कि रोही चक 17 एएमएस के खाता सं0 28/23 के मु0 न0 17 के किला न0 21/2, 22, मु0 न0 18 के किला न0 18 ता 25, मु0 न0 19 के किला न0 25 मु0 न0 20 के किला न0 5, 6 मु0 न0 21 के किला न0 1 ता 5, 7 ता 10, मु0 न0 22 के किला न0 1 व 2 कुल 6.047है0 नहरी 5.622है0, गै0 मु0 खाला 0.2250है0 व चक 14 एएमएस के खाता सं0 35/38 के मु0 न0 13 के किला न0 8 ता 13, 18 ता 23 मु0 न0 14 के किला न0 6, 7, 14 ता 17 कुल 4.3010है0 नहरी 3.036है0 बारानी 1. 2650है0 कृषि भूमि प्रतिवादी चुनीराम के नाम दर्ज में से वादी सोहनलाल व प्रतिवादी सं0 1 चुनीराम, प्रतिवादी सं0 2 छोटूराम व प्रतिवादी सं0 3 झाबरराम बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व प्रतिवादी सं0 4 ता 8 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 के पक्ष मे त्याग किया है , इसलिये हक त्याग किये गये हिस्सा पर पंजीयन विभाग द्वारा नियमानुसार देय स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क देय करने पर एवं वादभूमि यदि रहन हो तो रहनमुक्त होने उक्त वादभूमि से वादी सोहनलाल व प्रतिवादी सं0 1 चुनीराम, प्रतिवादी सं0 2 छोटूराम व प्रतिवादी सं0 3 झाबरराम बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में अमल

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

दरामद किया जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 26/02/2020 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्डाधिकारी भादरा जिला हनुमानगढ (राज०)

(मुकेश बारैठ)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ) R.A.S

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Bareth
Date: 2020.03.13 17:42:20 IST
Reason: SelfAttested
Location: